न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ पुनरावलोकन
(रिव्यू)

१। श्रीमती अलका सेठा पत्नी श्री जगदीश सेठा

२। जगदीश पुत्र श्री श्यामसुन्दर सेठा

निवासीगण पुराना पावर हाउस के पास

सतना, तहसील व जिला सतना, म०प्र०

-- प्रार्थीगण

विरुद्ध

म०प्र० शासन -- प्रतिप्रार्थी

पुनरावलोकन विरुद्ध आदेश माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर (श्री के०टी०एक्का, माननीय सदस्य) दिनांक ५-०७-२००६ अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९ । प्रकरण क्रमांक ६२६ तीन/२००४ अपील ।

श्रीमान,

पुनरावलोकन आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि इस माननीय न्यायालय की विवादित आज्ञा प्रत्यक्षदर्शी भूलों पर आधारित होने के कारण निरस्ती योग्य है ।

(२) यहकि इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की ओर से अपील मेमों में जो आपत्तियां उठाई गई थी विशेषकर मेमों के आधार क्रमांक पांच लगायत पन्द्रह में अंकित आपत्तियों पर सहबन न तो कोई विचार ही किया गया और ना ही कोई आदेश पारित किया गया, यह भूल ऐसी भूल है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2415–तीन/2006 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–11–16	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 926–तीन/2004/अपील में पारित आदेश दिनांक 05–07–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत पुर्नविलोकन प्रस्तुत की गई है। 4/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा इस न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व मण्डल ने प्रश्नाधीन आदेश में स्पष्ट किया है कि आयुक्त रीवा द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण अवधि के बिन्दू के साथ–साथ गुणदोषों पर भी किया है। जिसमें उन्होंने यह पाया है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने प्रश्नाधीन भूमि एवं उसमें बने भवन की कीमत विस्तृत विवेचना कारण बताते हुये निर्धारित की है, जिसमें उन्होंने उप पंजीयक द्वारा प्रस्तावित कीमत रुपये 16 लाख को कम करते हुये 14 लाख किया है।	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2415–तीन/2006 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–11–16	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 926–तीन/2004/अपील में पारित आदेश दिनांक 05–07–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत पुर्नविलोकन प्रस्तुत की गई है। 4/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा इस न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व मण्डल ने प्रश्नाधीन आदेश में स्पष्ट किया है कि आयुक्त रीवा द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण अवधि के बिन्दू के साथ–साथ गुणदोषों पर भी किया है। जिसमें उन्होंने यह पाया है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने प्रश्नाधीन भूमि एवं उसमें बने भवन की कीमत विस्तृत विवेचना कारण बताते हुये निर्धारित की है, जिसमें उन्होंने उप पंजीयक द्वारा प्रस्तावित कीमत रूपये 16 लाख को कम करते हुये 14 लाख किया है।	

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत यह पाया है कि मकान आवासीय है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि आयुक्त रीवा द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को स्थिर रखने में कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं की गई है। न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर ने आयुक्त रीवा द्वारा पारित किये गये आदेश के उचित एवं विधिसम्मत मानते हुये यथावत रखा है और आवेदक की अपील अस्वीकार की है। मैं न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के इस आदेश से सहमत हूँ, क्योंकि आयुक्त रीवा द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि के बिन्दू पर ही नहीं बल्कि गुणदोषों पर आदेश पारित करते हुये निरस्त किया है, जिसमें कोई अवैधता नहीं है। कलेक्टर द्वारा भी प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों की विवेचना उपरांत आदेश पारित किया है।

5/ अतः उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2006 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन का आवेदन सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । यदि आवेदक चाहे तो इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य